ालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–15/2017 अपील

अनवान

मति नन्दु पुत्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

–– अपीलार्थीया।

बनाम

–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

२–ग्राम पंचायत लादूवास जरिये संरपच ग्राम पंचायत लादूवास पंचायत समिति माण्डल, जिला भीलवाड़ा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत लादूवास नामान्तकरण संख्या 802 निर्णय दिनांक 05.06.2008 किया गया।
अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री श्रवणलाल गुर्जर (अधिवक्ता अपीलार्थीया)
2. पेरोकार सरकार अधिववक्ता रेस्पो0सं. 01

निर्णय

दिनांक 29.05.2018

इस अपील प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया श्रीमति नन्दू गुर्जर द्वारा अपील मीमों विरुद्व रेस्पोडेन्ट्स आदेश ग्राम पंचायत लादूवास नामान्तकरण संख्या 802 निर्णय दिनांक 05.06.2008 को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई। अपील बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्टस तलबी हेतु सम्मन न्यायालय द्वारा जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मन विधिवत बाद तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किये गये। नियत पेशी दिनांक को अपीलीर्थी पक्ष उपस्थित आये परन्तु रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाये जाने के आदेश प्रसारित किये गये।

दौराने कार्यवाही अपीलार्थीया द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके विरूद्ध कोई खंडन पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा – 2018 केम्प लादूवास पर पेश हुई। अपीलार्थीया पक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम तथा जल्दी सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये हुये है–जो रेकार्ड पर उपलब्ध है। उक्त प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई चाहे जाने से 05 दफा कानून मियाद अधिनियम के संबंध में अपीलार्थीपक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों के जांच किये विवादित नामान्तरकरण सं. 802 निर्णय दिनांक 05.06.2008 पारित कर दिया गया एवं विवादित भूमि पर अपीलार्थीया के साथ–साथ उसकी बहन लाडू तथा उसकी माता सायरी का अनावश्यक रूप से नाम जोड़ दिया गया। अपीलार्थीया पढी लिखी नहीं है। अतः अपील

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

को विलम्ब प्रस्तुत करने संबंधी कानून की जानकारी नहीं होने से अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 कानून मियाद स्वीकार फरमाया जावे तथा विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अपीलार्थीया पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क से न्यायालय सहमत है। चूंकि मामला अचल सम्पत्ति से संबंधित है जो जीवन का आधार है। अतः कानून मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया गया। विवादित 4.02 बीघा भूमि के संबंध में उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट अभिमत है कि उपरोक्त विवादित नामान्तरकरण सं. 802 निर्णय दिनांक 05.06.2008 बिना पूर्ण परीक्षण किये एवं संबंधित पक्षकारों की पूर्ण जांच किये बिना ही अपीलार्थीया के साथ-साथ अन्य का नाम जोड़ दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः मामले में विवेचन किये जाने से अपील-मीमों बहक अपीलार्थीया विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। तथा ग्राम पंचायत लादूवास द्वारा ग्राम मालास के नामान्तरकरण सं. 802 निर्णय दिनांक 05.06.2008 को भी खारिज किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है। आदेश का अंकन नामान्तरकरण की दोनो प्रतियों पर लगाया जावे तथा विवादित 4.02 बीघा भूमि में से 0.13 बीघा भूमि पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अनुसार अन्य खातेदार के नाम दर्ज हो जाने से शेष 3.09 बीघा भूमि के संबध में देवा पिता भूरा एवं स्व. महाराम पिता मोटा गुर्जर सा0 देह के विधिक उत्तराधिकारी का हक हिस्सा निर्विवादित होने से यथावत रखे जाने एवं शेष 1.03 बीघा भूमि अपीलार्थीया के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य होने से अपील-मीमो अपीलार्थीया बहक अपीलार्थीया विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

:: आदेश ::

अपील-मीमों बहक अपीलार्थीया विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाने से तथा ग्राम मालास पटवार मण्डल लादूवास तहसील करेड़ा नामान्तरकरण सं0 802 निर्णय दिनांक 05.06.2008 को निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान किये जाने से ग्राम मालास पटवार हल्का लादूवास-।। तहसील करेड़ा स्थित कृषि आ0नं0 482, 483 व 514 कुल किता 3 कुल रकबा 4.02 बीघा भूमि जिसमें से 0.13 बीघा भूमि की डिकी पूर्व में ही अन्य खातेदार के पक्ष में हो जाने के पश्चात् शेष विवेचित रकबा 3.09 बीघा भूमि रहती है जिसमें निम्नानुसार हक-हिस्सा निर्धारण किया जाता है:-

1-श्री देवा पिता भूरा गुर्जर सा0 देह का हिस्सा 1/3 अर्थात् 1.03 बीघा।

2-स्व0 महाराम पिता मोटा गुर्जर सा0 देह के उत्ताधिकारियो का हिस्सा 1/3 अर्थात् 1.03 बीघा।

3-अपीलार्थीया नन्दू पुत्री लक्ष्मण जाति गुर्जर सा0 देह का हिस्सा 1/3 अर्थात् 1.03 बीघा।

अतः उपरोक्तानुसार हक हिस्सा अज सरे नौ नामान्तरकरण के जरिये दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।
निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner